माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–31.08.2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु 'राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति' की बैठक की कार्यवाही :–

मुख्य सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मानव विकास के सूचकांक में बिहार राज्य अभी भी कुछ राज्यों से पीछे चल रहा है। पिछली बैठक (22.11.2011) में कुछ ऐसे इंडीकेटर्स तय किये गए थे। उसके बाद मुख्य सचिव स्तर पर अन्तर्विभागीय बैठकें भी समय–समय पर हुई है। जिसके आलोक में एक रूपरेखा तैयार हुई थी। उसकी प्रगति एवं भविष्य की योजना के लिए यह बैठक बुलाई गई है।

2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के संबंध में Power Point Presentation के माध्यम से अब तक की प्रगति तथा भविष्य की योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि Expenditure Based Planning से Indicator Based Planning पर ध्यान देना जरूरी है।

3. माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों के चहुँमुखी विकास के साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन शैली उपलब्ध कराना है। क्योंकि मानव विकास ही वास्तव में विकास है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पटना शहरी क्षेत्र को ही विकास का पैमाना न बनाया जाए अन्यथा पटना के ग्रामीण क्षेत्र एवं पटना शहरी का स्लम क्षेत्र पीछे रह जाएगा। मुख्यमंत्री ने पेयजल की व्यवस्था के संबंध में कहा कि चापाकल लगाने के पहले पेयजल की जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय (Community Toilet) की व्यवस्था सफल नहीं हो पा रही है। क्योंकि इसकी साफ सफाई लोगों के द्वारा नहीं की जाती है। यह निजी चीज है, इसीलिए सुलभ शौचालय की तरह कोई कारगर व्यवस्था होनी चाहिए। इसी क्रम में मा० उप मुख्यमंत्री द्वारा Wastage Technology वाले शौचालय की व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव दिया गया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ईस्टर्न रेलवे द्वारा ऐसे शौचालय की व्यवस्था किये जाने की बात कही गई तथा ऐसी ही व्यवस्था करने पर विचार करने को कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें है जिसका समाधान करने से बहुत सी चीजों का समाधान Merge हो जाती है जैसे 90% बीमारियाँ दूषित जल से . है या खुले में शौच से होती है। यदि इसका समाधान किया जाए तो काफी समास्याएँ दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोल: विद्युतीय व्यवस्था पर भी ध्यान दिए जाने की बात कही।

4. मुख्यमंत्री ने स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि यदि लड़की को साक्षर किया जाए तो बहुत से दुर्गुण स्वतः दूर हो जाऐंगे जैसे अल्प आयु में विवाह (बाल विवाह), बाल मृत्यु दर में कमी, लिंग अनुपात में कमी, कुपोषण की समस्या में कमी आदि।

मुख्यमंत्री ने स्त्री साक्षरता के प्रसंग में महादलित महिलाओं एवं मुस्लिम महिलाओं के लिए साक्षरता अभियान चलाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इस वर्ग की महिलाओं के लिए संध्याकालीन पाठशाला चलाई जा सकती है। इसके अलावा इस अभियान में अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है। एक बार महिलाओं की योजना सफल हो जाएगी तब पुरूषों के लिए भी योजना लागू की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग को निदेश दिया कि शिक्षा विभाग साक्षरता अभियान में जो योजना बना रहा है, उसमें यह भी शामिल होना चाहिए।

5. महादलित विकास मिशन के संबंध में मुख्यमंत्री ने 'हुनर और औजार योजना' तथा 'दशरथ मांझी कौशल विकास योजना' चलाए जाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। महादलित वर्ग के लोगों के लिए बहुमंजिला भवन (Multistory Building) बनाने का निदेश देते हुए कहा कि पहले गाँवों में यह व्यवस्था कर दें तो फिर शहरों में केन्द्रित करेंगे तो बाकी समुदायों का भी क्रमवार समाधान हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों की विकास योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विकास मुख्यतः अनु०जाति (SC) पर ध्यान देता है। अनुसूचित जन जाति (ST) पर नहीं। इसीलिए अनुसूचित जनजाति (ST) पर भी विशेष ध्यान देना होगा तथा इसके लिए विकास योजनाएँ अनुसूचित जाति के समान निर्धारित की जाए।

6. मुख्यमंत्री ने खेल कूद को प्रोत्साहन देने एवं खेल संस्कृति विकसित किए जाने की भी चर्चा करते हुए निदेश दिया कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक खेल का बड़ा मैदान तथा

एक प्रखंड में कम से कम एक स्टेडियम अवश्य बनाया जाना चाहिए तथा खेल मैदान एवं डियम की पक्की धेराबंदी होनी चाहिए। कम से कम इसके लिए 2 एकड़ भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए।

7. उप मुख्यमंत्री ने बच्चों में होने वाली दो प्रमुख जन्मजात बीमारियों (1) हृदय में छेद (ii) कटा हुआ होठ, की चिकित्सा हेतु सरकारी कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि 4 लाख का खर्च हो तो मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से किया जा सकता है; किन्तु इससे अधिक खर्च हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता करने का प्रस्ताव भेजकर कार्रवाई किया जाए।

8. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त बैठक में निम्नांकित निदेश दिये जाए :–

(i) प्राथमिक इंडीकेटर्स में स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, पोषक आहार आदि को रखा जाए।

(ii) निर्मल ग्राम की व्यवस्था की जाए।

(iii) टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया जाए।

(iv) स्त्री शिक्षा, विशेषकर महादलित एवं मुस्लिम महिलाओं पर जोर दिया जाय।

(v) नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना को बहुत गंभीरता से निरीक्षण किया जाय।

(vi) स्वयं सहायता समूह को भी मानव विकास के कार्यक्रम में शामिल किया जाय।

(vii) खेल के मैदान एवं स्टेडियम के निर्माण हेतु संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई किया जाय।

(viii) शौचालयों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(ix) बाल मृत्यु दर (05 वर्ष से कम आयु) में कमी लाने संबंधी कार्रवाई किया जाय।

(x) प्रमुख इंडीकेटर्स में कम से कम इंडीकेटर्स रखे जाए ताकि Monitoring अच्छी तरह से हो सके।

(xi) टोला सेवक और अनुदेशक की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(xii) अनुसूचित जाति के समान अनुसूचित जनजातियों के विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(xiii) मुख्य सचिव के स्तर पर मोनिटरिंग संबंधी कार्यों की प्रगति हेतु कम से कम 2 माह में एक बार बैठक आयोजित किया जाए तथा राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक 4 माह में एक बार की जाए।

(xiv) संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों की नियुक्ति में 'वेटेज' देने की व्यवस्था किया जाए।

ह0/–
(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक–मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–17/2011 (खंड).....1501...../दिनांक–22–नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि :–मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, शिक्षा के आप्त सचिव/मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव /मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आप्त सचिव/मंत्री, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के आप्त सचिव/मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा के आप्त सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, योजना एवं विकास के आप्त सचिव/मंत्री, श्रम संसाधन के आप्त सचिव /मंत्री, सूचना एवं जन संपर्क के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना प्रावैधिकी के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

(173)

ज्ञापांक–मं०मं०–01 / मंत्रिपरिषद्–17 / 2011 (खंड) 1501 / दिनांक– 22 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव / सचिव / वित्त विभाग / शिक्षा विभाग / स्वास्थ्य विभाग / समाज कल्याण विभाग / पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग / अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग / योजना एवं विकास विभाग / श्रम संसाधन विभाग / सूचना एवं जन संपर्क विभाग / सूचना प्रावैधिकी विभाग / गृह विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधिकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

परिशिष्ट– 'क'

मिशन मानव विकास से संबंधित सूचकांक–

1. स्वास्थ्य –

1.1 जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)
1.2 लिंगानुपात
1.3 शिशु मृत्यु दर
1.4 मातृ मृत्यु दर
1.5 कुपोषण (5 वर्ष से कम बच्चों का)
1.6 किशोरी बालिकाओं में अनिमिया की स्थिति
1.7 प्रजनन दर
1.8 टीकाकरण
1.9 बाल–विवाह
1.10 नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना

2. शिक्षा –

2.1 बसावट आच्छादित (प्राथमिक विद्यालय, प्रारम्भिक विद्यालय, उच्च विद्यालय पंचायत के अनुपात में)
2.2 नामांकन (सकल नामांकन दर)
2.3 नामांकन (कुल नामांकन दर)
2.4 शिक्षक छात्र अनुपात
2.5 छात्र–कक्षा अनुपात
2.6 महिला शिक्षा (विशेषकर महादलित एवं मुस्लिम महिलाओं, अति पिछड़े)
2.7 छीजन दर
2.8 विद्यालय में उपस्थिति
2.9 पारगमन दर (Transition Rate)
2.10 दसवीं उत्तीर्ण दर
2.11 विज्ञान/अभियंत्रण/तकनीकी शिक्षा में स्नातक विद्यार्थियों की संख्या
2.12 कौशल विकास (हुनर, औजार एवं दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के साथ समस्त योजना)

3. गरीबी एवं असमानता –

3.1 आमदनी
3.2 सामाजिक सुरक्षा सहायता
3.3 स्वयं सहायता समूह (राष्ट्रीय ग्रामीण जीवीकोपार्जन मिशन)

4. परिवार एवं सामुदायिक परिसम्पत्ति

4.1 आवास
4.2 पेयजल
4.3 स्वच्छता
4.4 वसुधा केन्द्र
4.5 खेल–कूद